# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रमांक : 14/250

सुमित्रा बाई उर्फ सिमित्रा बाई पुत्र वधू पन्ना दास जाति बैरागी निवासी कुदायला हाल निवासी झालरापाटन जिला झालावाड ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोहम्मद अहसान आत्मज मोहम्मद ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. मोहम्मद इरफान आत्मज मोहम्मद ईस्माइल जाति मुसलमान निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. मृतक दुर्गा प्रसाद केजरी वाला आत्मज रामकुमार जी केजरी वाला निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान कमल कुमार पुत्र ।
4. प्रभूलाल आत्मज पन्नादास जाति बेरागी निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. बाबूलाल आत्मज कंवर दास जाति बेरागी निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 5 की ओर से ।
3. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 5 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट सुमित्रा बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी की आराजी कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर अपना हिस्सा पृथक खातेदारी में दर्ज करने एवं पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करने का निवेदन किया ।

न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.07.2012 के द्वारा वादिनी का वाद आंशिक रूप से करते हुए वादिनी का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया और तहसीलदार रामगंजमण्डी को कमीश्नर नियुक्त करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.07.2012 के आधार पर दिनांक 19.02.2014 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.2014 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने वकील साहब को अपील प्रस्तुत करने के लिए कह दिया था और उन्होंने अपीलान्ट को आने के लिए मना कर दिया कि अपील प्रस्तुत कर दी जावेगी परन्तु उनके वकील साहब द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई । उनके वकील साहब ने अपील प्रस्तुत करने के बजाय इजराय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो दिनांक 09.10.2014 को खारिज कर दिया गया । जिस पर दिनांक 13.10.2014 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नम्बर 290 की 0.27 हैक्टर भूमि सडक के सहारे स्थित है । खसरा नम्बर 290 का शेष भाग सडक के सहारे मौके पर खाली है । अपीलान्ट के हिस्से में केवल मात्र 0.03 हैक्टर भूमि आती है जिसे मेन रोड पर दिया जाना आवश्यक है क्योकि अन्दर की ओर भूमि दिये जाने पर भूमि अपीलान्ट के किसी भी उपयोग की नहीं रहेगी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट की आपत्ति को स्वीकार कर संशोधित विभाजन रिपोर्ट मंगवाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.2014 निरस्त फरमया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 11.02.2013 की विभाजन रिपोर्ट पर अपीलान्ट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी उसके पश्चात् दूसरी विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी जिसके आधार पर उक्त अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने इजराय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस प्रकार

प्रकरण में अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता । इस प्रकार न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.2014 बहाल रखी जावे ।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस का मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 19.02.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर उसकी आपत्ति को सुनवाई करने का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन नियमों की पालना कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा